भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 996
(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया गया)

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त फर्जी कंपनियां

996. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त फर्जी और जाली कंपनियों के पूर्ण ब्यौरे का पता लगाने हेतु कोई कदम उठाए है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या यह सच है कि इन कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित कई दस्तावेजों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के साथ मिली भगत करके बदला गया है और उनमें हेर-फेर की गई है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है और दोषियों के विरूद्ध क्या कड़ी कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम के अधीन जाली और/या बोगस कंपनियां परिभाषित नहीं हैं। ऐसा कोई ब्यौरा मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर इसका प्रश्न नहीं उठता।

*****